मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्र0/सी /3-4/94/3/एक भोपाल, दिनांक 10/जून/94

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के के आश्रित सदस्यों को नौकरी में प्राथमिकता के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति ।

:::::

अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित, संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए, इस विभाग के पूर्व में प्रसारित समस्त अनुदेशों को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब अनुकम्पा नियुक्ति निम्न निर्देशों के अन्तर्गत की जावेगी :-

(एक) यदि किसी शासकीय सेवक की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा अथवा उसकी कोई सन्तान (जिसमें सौतेला पुत्र/पुत्री भी शामिल है) को नौकरी दी जावेगी । अन्य किसी सदस्य या रिश्तेदार को नौकरी नहीं दी जावेगी ।

(दो) मृतक शासकीय सेवक के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा यह भी बन्धन नहीं होगा कि उस परिवार के अन्य सदस्य शासकीय सेवा में अथवा निजी व्यवसाय में पहले से न लगे हों । अनुकम्पा के आधार पर परिवार के एक से अधिक सदस्य को नौकरी नहीं दी जावेगी ।

(तीन) चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता का बन्धन शिथिल रहेगा ।

//2//

(चार) अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए भरती नियमों में दर्शाई अधिकतम आयु-सीमा का बन्धन शिथिल रहेगा ।

(पांच) यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उसके परिवार का सदस्य अवयस्क हो तो ऐसी अवयस्क सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता उसके वयस्क होने पर होगी और उसके आवेदन करने पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी ।

(छह) अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को उसी कार्यालय को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जहां दिवंगत शासकीय सेवक कार्यरत था और संबंधित कार्यालय के संक्षम नियुक्तिकर्ता अधिकारी को आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पर निर्णय लेना होगा । संबंधित कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पद उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रकरण नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा विभागाध्यक्ष को भेजा जाए, जो विभाग में निकटतम अन्य स्थान पर रिक्त पद की जानकारी प्राप्त कर नियुक्ति देने के लिए संबंधित अधिकारी को, जिसके कार्यालय में रिक्त पद उपलब्ध हो, निर्देश देगा । अर्थात ऐसी नियुक्ति देने के लिए सांख्यांकित पद निर्मित करने की कार्यवाही नहीं की जावेगी । चूंकि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिवस की समय-अवधि में नियुक्ति देना अनिवार्य किया जा रहा है ।अतएव पद उपलब्ध न होने आधार पर आवेदन पत्र अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा । अनुकम्पा नियुक्ति तृतीय श्रेणी के ही निम्नतर श्रेणी स्तर के अन्य पद जैसे पटवारी ,स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, वन रक्षक, प्रहरी आरक्षक, सहायक शिक्षक आदि पर दी जा सकेगी तथा आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग द्वारा की जावेगी ।

(सात) अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए वही अधिकारी सक्षम होगा जो सामान्य परिस्थिति में तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी, जैसा भी प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिये सक्षम हो ।

(आठ) अनुकम्पा नियुक्ति के लिए भर्ती पद प्रतिबन्ध संबंधी निर्देश लागू नहीं होंगे ।

(नौ) अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय आश्रित परिवार सदस्य को साधारण कागज पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसका मृतक शासकीय सेवक से संबंध, शासकीय सेवक का पूर्ण विवरण, मृत्यु तिथि, स्वास्थ्य आधार पर सेवा निवृत्ती की तिथि, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता और परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण ब्यौरा दिया जाना होगा ।

(दस) चिकित्सा आधार पर शासकीय सेवक को अयोग्य ठहराये जाने पर हुई सेवा निवृत्ती के प्रकरणों में भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता आश्रित परिवार के एक सदस्य को होगी ।

(ग्यारह) कार्यभारित/आकस्मिक सेवा में कार्यरत कर्मचारी के दिवंगत होने पर उसके परिवार के सदस्य को भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी, परन्तु उसकी नियुक्ति कार्यभारित/आकस्मिकता निधि सेवा के अधीन निर्मित पदों पर ही हो सकेगी ।

(बारह) अनुकम्पा नियुक्ति केवल तृतीय श्रेणी के निम्नतम लिपिक वर्गीय पद अथवा समकक्ष वेतनमान के पद अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद पर की जा सकेगी । विशेष तकनीकी अर्हताधारी व्यक्ति के मामले में यदि निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च वेतनमान के पद पर नियुक्ति चाही गई हो तो ऐसी नियुक्ति विभागाध्यक्ष द्वारा की जावेगी ।

(तेरह) यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु सेवा में वृद्धि के दौरान या पुर्ननियुक्ति के अवधि के दौरान होती है तो उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की सुविधा नहीं मिलेगी ।

(चौदह) अनुकम्पा नियुक्ति के ये निर्देश राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों पर भी लागू होंगे ।

(पन्द्रह) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों का निराकरण भी इन्हीं निर्देशों के अनुसार किया जावेगा ।

(सोलह) वर्तमान में लंबित प्रकरण एवं पूर्व में अस्वीकृत किए गए प्रकरण भी उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में निर्णीत/पुनर्विलोकित किए जा सकेंगे । चूंकि अनुकम्पा नियुक्ति के निर्देश 1-11-1972 से प्रभावशील हैं, अतः पूर्व में अस्वीकृत प्रकरणों में पुनर्विलोकन उन्हीं प्रकरणों में किया जा सकेगा, जिनमें शासकीय सेवक की मृत्यु 1/11/1972 के पश्चात हुई हो । पुनर्विलोकन का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी को ही होगा ।

(सत्रह) मृत शासकीय सेवक की विधवा का कोई वयस्क पुत्र या पुत्री उसकी देखभाल करने के लिए न हो और व स्वयं भी शासकीय सेवा करने के लिए सक्षम न हो तो उसे अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे अन्य नजदीकी रिश्तेदार को नियुक्ति के लिए नामांकित कर सकेगी जो उसकी देखभाल कर सके । ऐसा नामांकन उसके द्वारा

8 अलग अलग पर करना होगा ।

(अट्ठारह) अनुकम्पा नियुक्ति यथा संभव नियुक्त व्यक्ति को उसके गृह जिले में दी जाए ।

(उन्नीस) वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु समस्त लंबित आवेदन-पत्रों को संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी को निराकरण के लिए प्रेषित कर दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण 30 सितम्बर, 1994 तक हो जाये ।

(बीस) निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर, अनुकम्पा के आधार पर, नियुक्त की गई स्वर्गीय शासकीय सेवक की विधवा को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का बन्धन नहीं होगा, लेकिन स्वर्गीय शासकीय सेवक के बच्चों की अनुकम्पा नियुक्ति के बाद उनकी आयु 40 वर्ष होने अथवा उनके द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से, इनमें से जो भी पहले हो, उनकी नियुक्ति नियमित की जावेगी ।

(इक्कीस) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए यदि किसी दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा हायर-सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण न हो किन्तु इस विभाग के दिनांक 18/9/73 के ज्ञापन क्रमांक -

595/1083/1(73 के परिशिष्ट में अंकित विशारद परीक्षा उत्तीर्ण हो और

595/1083/1(3)/73 के परिशिष्ट में अंकित विशारद परीक्षा उत्तीर्ण हो और यदि वह इस ज्ञापन में विहत की गई अन्य शर्ते पूर्ण करती हो तो उसे निम्न श्रेणी लिपिक या अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति दी जाए ।

जिस स्वर्गीय शासकीय सेवक की विधवा ने वर्ष 1950 से पहले हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हे भी शासकीय सेवा में निम्न श्रेणी लिपिक अथवा अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु विचार में लिया जाए, बशर्ते कि वे अनुकम्पा नियुक्ति के लिए इस ज्ञापन में विहित की गई अन्य शर्ते पुरी करती हो ।

(बारह) दिसम्बर -92 में हुए साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु, दंगे में यदि उनके परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई हो या स्थाई रूप से असमर्थ) हो गया हो तो मृतक अथवा स्थाई रूप से असमर्थ शासकीय सेवकों की तरह उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी ।

साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ित परिवार के गृह जिले के कलेक्टर नोडल आफीसर होंगे । नोडल आफिसर पीड़ित परिवार से आवेदन-पत्र प्राप्त करेंगे एवं जिले में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर, प्रकरण का स्वयं परीक्षण कर, नियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित करायेंगे ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(आभा अस्थाना)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

//3// (7)

पृष्ठांकन/क्र0/अनु0नियु0/ह/94/ 2211 भोपाल, दिनांक 1-7-94

प्रतिलिपि:-

1/ समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षा संभाग मध्यप्रदेश ।

2/ समस्त उप संचालक शिक्षा जिला मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया शासन निर्देशानुसार अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रकरणों की तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें । यह भी ध्यान रखा जाये कि अब अनु0नियु0 संबंधी कोई भी नवीन प्रस्ताव सामान्यत: इस कार्यालय को नहीं भेजा जावे ।

3/ प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी म0प्र0

4/ प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय (महीला) पेण्ड्रा जिला बिलासपुर (म0प्र0)

5/ संयुक्त संचालक (स्था0-3)/स्थानीय ।

6/ उप संचालक (स्था0-1)स्था0-2/स्था0-4/स्थानीय । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1/7/94

संलग्न:- म0प्र0 शा0स्कूल शिक्षा वि0के निर्देश दिनांक 29/4/94

कृते: संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश